संख्या-25/2022/I/136538/2022/23-11099/2946/2020

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता विकास एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 31 जनवरी, 2022**

विषय:- जनपद बदायूँ में पीलीभीत बरेली मथुरा भरतपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-33) के कि0मी0 102.115 से 131.00 तक दो लेन विद् पेव्ड शोल्डर चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण (लम्बाई 29.285 कि0मी0) (मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार कि0मी0 102.115 से 114.200 तक, लम्बाई 12.085 कि0मी0 में मार्ग के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण को सम्मिलित करते हुए) कार्य की पुन: पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-168/पी0जे011/15पी0जे0(1)/21, दिनांक 18-03-2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बदायूँ में पीलीभीत बरेली मथुरा भरतपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-33) के कि0मी0 102.115 से 131.00 तक दो लेन विद् पेव्ड शोल्डर चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण (लम्बाई 29.285 कि0मी0) (मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार कि0मी0 102.115 से 114.200 तक, लम्बाई 12.085 कि0मी0 में मार्ग के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण को सम्मिलित करते हुए) कार्य की मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-103/2016/499(1)/23-11-2015-1/2(270)/2015, दिनांक 31-03-2021 द्वारा लागत रू0 5297.28 लाख एवं पुनरीक्षित स्वीकृति, शासनादेश संख्या-383/2016/207(1)/23-11-2016-1/2(270)/2015, दिनांक 29-12-2016 द्वारा लागत रू0 9582.65 लाख की प्रदान की गयी थी। प्रश्नगत परियोजना की लागत में वृद्धि के कारण व्यय-वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 10274.11 लाख (रू0 एक अरब दो करोड़ चौहत्तर लाख ग्यारह हजार मात्र) की पुन: पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित स्वीकृत लागत	पुन: पुनरीक्षित स्वीकृत लागत
1	जनपद बदायूँ में पीलीभीत बरेली मथुरा भरतपुर मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-33) के कि0मी0 102.115 से 131.00 तक दो लेन विद् पेव्ड शोल्डर चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण (लम्बाई 29.285 कि0मी0) (मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार कि0मी0 102.115 से 114.200 तक, लम्बाई 12.085 कि0मी0 में मार्ग के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण को सम्मिलित करते हुए) का कार्य।	5297.28	9582.65	10274.11

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य

http://shasanadesh.up.nic.in

प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(2) व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तो का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टयां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(7) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(8) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(9) प्रायोजना लागत में 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित कर दी गयी है। विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित न हो।

(10) पुन: पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन टेण्डर के आधार पर स्वीकृति दरों के अनुसार किया गया है। प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित टेण्डर दरों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

(11) प्रायोजनान्तर्गत विद्युत पोल/विद्युत लाइन शिफ्टिंग हेतु विद्युत विभाग द्वारा आगणनानुसार रू0 500.52 लाख एवं वन विभाग (वृक्षारोपण/कटान) द्वारा आगणनानुसार रू0 200.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है। विभाग द्वारा उक्त कार्यमदों का सत्यापन एवं पुनर्वैधीकरण कराते हुए विस्तृत आगणन पर सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(12) प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, सड़क की लम्बाई एवं चौड़ाई में परिवर्तन क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(13) प्रायोजना लागत का अनुमोदन प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(14) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(16) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश संख्या-103/2016/499(1)/23-11-2015-1/2(270)/2015, दिनांक 31-03-20216 एवं पुनरीक्षित स्वीकृत के शासनादेश संख्या-383/2016/207(1)/23-11-2016-1/2(270)/2015, दिनांक 29-12-2016 की शेष प्रतिबन्ध/शर्तें यथावत रहेंगी।

3- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-03-राज्य राजमार्गो का निर्माण कार्य-0303-राज्य राजमार्गो के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य एवं अनुदान सं0-83 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-राज्य मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के कार्यो हेतु-00-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0-ई-8-3603/दस-2021-22, दिनांक 20 जनवरी, 2022 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम्/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम्/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
6- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- वित्त व्यय (नियन्त्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
9- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
12- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in